पत्रांक–2ब०/विविध–21–22/2013 39 /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रुप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 12.07.19

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में श्रावणी मेला, 2019 के अवसर पर सफाई, सफाई सामग्री आदि के क्रय हेतु सुलतानगंज नगर परिषद् को नागरिक सुविधा मद से कुल ₹45.00 लाख (पैंतालीस लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुलतानगंज के पत्रांक– 658, दिनांक– 14.06.2019 द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में श्रावणी मेला, 2019 के अवसर पर सफाई, सफाई सामग्री आदि के क्रय हेतु सुलतानगंज नगर परिषद् को नागरिक सुविधा मद से कुल ₹45.00 लाख (पैंतालीस लाख रू०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

2. उक्त स्वीकृत कुल ₹45.00 लाख (पैंतालीस लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् सुलतानगंज होगें,** जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रुप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

5. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय, स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹45.00 लाख (पैंतालीस लाख रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष– 0105–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031920105,** विषय शीर्ष– 0105.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. **राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि कार्यों का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो। क्रय संबंधित कार्य विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।**

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/विविध–21–22/2013 के पृष्ठ सं०–....75..../टि० पर दिनांक–....11/07/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–....76..../टि० पर दिनांक– 11/07/2019 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुलतानगंज/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.07.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/विविध–21–22/2013 39 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 12/07/19

प्रतिलिपिः– आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुलतानगंज/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय सी०जी०आर० कोषांग को ई०मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.07.19

सरकार के विशेष सचिव।